न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/202 **दायरा दिनांक : 09.11.2022**

उनवान

श्री दिनेश पुत्र श्री हजारी लाल, जाति किराड, निवासी ग्राम महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारा राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री मदनलाल गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से
पेरोकार सरकार श्री संदीप सक्सैना रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 16.08.2024**

ये अपील उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद के प्रकरण संख्या – 28/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम महोदरा तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा नं. 326 रकबा 5.00 बीघा, किस्म बंजड दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहाबाद ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2022 से वादी का वाद अस्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि ग्राम महोदरा, तहसील शाहबाद जिला बारां की आराजी खसरा नं. 326 की रकबा 5 बीघा वादी के पिता हजारी वल्द श्री श्याम लाल किराड निवासी महोदरा को वर्ष 1986 में आवंटित की थी। वादी के पिता 1986 के पूर्व से ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त थे तथा आवंटन के पश्चात् भी काश्त करते रहे। उनकी मृत्यु के पश्चात् वादी वादग्रस्त आराजी पर निरंतर काबिज काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में भी वादी काबिज है। उक्त आराजी पर राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा खातेदारी दर्ज नहीं करने के कारण व सिवायचक बंजड सरकार के खाते में चली आ रही है। इसलिए वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी को अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने हेतु एवं निषेधाज्ञा हेतु यह वाद पेश किया था। प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश कर वादी को किये गए अलॉटमेंट को स्वीकार किया तथा वादी का वर्तमान में कब्जा होने का कथन भी स्वीकार है व साक्ष्य से प्रमाणित है। तनकीयात बनाकर निर्णय पारित किया, परंतु मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजात की सही विवेचना किये

16/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.08.2022 को निर्णय पारित किया है, जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निम्न आधार पर निरस्तनीय है :–

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करते समय साक्ष्य की सही विवेचना नही की एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य को नजरअंदाज कर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है, अस्तु निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात का सही निर्णय नहीं किया है। तनकीयात का निर्णय करते समय साक्ष्य की विवेचना नहीं की गयी है और बिना कारण व स्पष्टीकरण के गलत तरीके से निर्णित की गयी है, जो निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादी/अपीलांट के पिता हजारीलाल पुत्र श्री श्यामलाल किराड को वादग्रस्त आराजी वाके माल ग्राम महोदरा, तहसील शाहबाद जिला बारां की आराजी खसरा नं. 326 रकबा 5 बीघा वर्ष 1986 में आवंटित हुई थी एवं जब से ही आवंटी एवं आवंटी की मृत्यु के पश्चात् वादी उक्त आराजी पर निरंतर काबिज काश्त है एवं वर्तमान में भी काबिज है। यह तथ्य प्रतिवादी/रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी स्वीकार किया गया है। आवंटन का आदेश पत्रावली में पेश किया हुआ है तथा वर्तमान में वादी का कब्जा होने का कथन तहसीलदार शाहाबाद द्वारा वादी/अपीलांट को धारा 91 एल.आर. एक्ट के नोटिस दिये जाने से स्वतः स्वीकृत तथ्य है, जिसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बावजूद उक्त तथ्यों व साक्ष्यों को नजरअंदाज कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। वादी के पिता अनपढ व्यक्ति होने के कारण कानूनी जानकारी से अनभिज्ञ थे एवं समय पर आराजी को अपने नाम खातेदारी में दर्ज नहीं करवाया। इस कारण आराजी सिवायचक दर्ज होने के आधार पर गलत विचारण एवं गलत निर्णय पारित किया गया है। यहां यह कथन करना आवश्यक समझता हूं कि वादी के पिता के नाम का आवंटन निरस्त नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट अतिक्रमी नहीं है एवं आवंटन की गयी 5 बीघा की भूमि खसरा नम्बर 326 पर काबिज है एवं 1986 में आवंटन होने से पूर्व से ही वादी/अपीलांट के पिता व उनकी मृत्यु के पश्चात् वर्तमान में वादी/अपीलांट काबिज है। इस कारण वादी/अपीलांट को वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है, जिनकी घोषणा कराकर अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने का विधिसम्मत् अधिकारी व नलिशी है। इसके विपरीत गलत निर्णय पारित कर वादी/अपीलांट का वाद खारिज करने में भारी भूल की है, अस्तु अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। आंवटन का कब्जा विधि अनुसार देने पर वादी/अपीलांट काबिज है एवं खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए वादी/अपीलांट प्रतिवादी/रेस्पो.के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी से बेकब्जा किये जाने के विरूद्ध एवं अन्य स्थानान्तरण किये जाने के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त

16/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

करने का अधिकारी व नालिशी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए कथन किया कि आराजी अपीलांट के पिता को आवंटन हुई थी जिसे सिवायचक मानते हुए स्थानान्तरण के नोटिस जारी कर दिये गये, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दखल देना नहीं मानते हुए वादी का वाद खारिज किया। हमारा आवंटन निरस्त नहीं हुआ। पटवारी रिपोर्ट (आवंटन आदेश में) हमे अतिक्रमी बताया गया है। आराजी पर अभी हमारा कब्जा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार द्वारा लिखित बहस पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी पुत्र हजारी ने ग्राम महोदरा तहसील शाहबाद के खसरा नम्बर 326 रकबा 5 बीघा सिवायचक भूमि पर कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान करने की मांग की गयी है। भूमि सिवायचक सरकार के खाते में दर्ज होने से अतिक्रमी को कोई बैय हक व अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अगर सिवायचक भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये तो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की प्रवृति को बढावा मिलेगा अतः अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बहाल रखना उचित होगा।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी गहनता से अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट द्वारा आवंटन से आज तक निरंतर कब्जे काश्त के सबूत पेश नहीं किये गये है। अपीलांट की हैसियत अतिक्रमी की है। अतः उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित प्रकट होने से हम यथावत रखा जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 13.08.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । 16/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Ind/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

श्री दिनेश पुत्र श्री हजारी लाल, जाति किराड,
निवासी ग्राम महोदरा, तहसील शाहबाद,
जिला बारां

अपीलांट्स **बनाम** **रेस्पोडेंट्स**

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहाबाद
जिला बारा राज0

अपील नं **2022/202**
मु.द.नं0 **28/2016**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी ,शाहबाद**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **13.08.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **24 माह 07** सन् **2024**

श्री मदनलाल गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से, पेरोकार सरकार श्री **संदीप सक्सैना** रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2022 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **16 माह 08 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

16/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)